



अंचल अधिकारी का कार्यालय, सोनुआ।

प० सिंहभूम, साईंघरास 833105
(Email ID - cosonua5@gmail.com)

आदेश - सोनुआ

पैन का प्रकार - रजिस्टर - 2 अधिनियम।

अभिलेख सं० - 3 / 2023-24

आदेश का नाम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	श्री/श्रीमती <u>सोनु महर्ग</u> पिता/पति <u>निलाई महर्ग</u> ग्राम - <u>वज्जीरा</u> पो० - <u>सुडपा</u> थाना - सोनुआ, जिला - प० सिंहभूम के द्वारा निम्नलिखित भूमि का जमाबंदी रजिस्टर-2 में दर्ज हेतु किया गया है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें तथा अभिलेख, दिनांक को उपस्थापित करें। मौजा <u>वज्जीरा</u> धाना नं० <u>209</u> खाता नं० <u>1105</u> प्लॉट नं० <u>073</u> रकबा <u>0.73</u> लेखापित अंचल अधिकारी सोनुआ। अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप-निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा <u>वज्जीरा</u> खाता नं० <u>209</u> प्लॉट नं० <u>1105</u> रकबा <u>0.73</u> लगान <u>1</u> नाम <u>सोनु महर्ग</u> पिता/पति <u>निलाई महर्ग</u> निवासी <u>वज्जीरा</u> ने बिस्मि केवाला सं० <u>1971-78</u> से क्रय किया गया है तथा अंचल कार्यालय से नामांतरण मुकदमा सं० <u>73/1971-78</u> से नामांतरण स्वीकृत है। आवेदक ने इसके समर्थन में बिस्मि केवाला/शुद्धि पत्र की प्रति ऑफलाईन रसीद इत्यादि समर्पित किया है। आवेदक के पिता/माता के नाम से पुराना पंजी-2 के पृष्ठ संख्या में जमाबंदी कायम है तथा नियमित रूप से लगान कट रहा है। अतः राजस्व उप-निरीक्षक/प्रभाषी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम हेतु स्वीकृति दी जाती है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक/ऑपरेटर से ऑनलाईन दर्ज करते हुए आवश्यक संशोधन करें। लेखापित अंचल अधिकारी सोनुआ। अभिलेख उपस्थापित। उक्त भूमि का जमाबंदी मौजा - <u>वज्जीरा</u> भाग सं० <u>02</u> पृष्ठ सं० <u>17</u> में दर्ज किया गया। अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित अंचल अधिकारी सोनुआ।	